

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार  
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉंची /हजारीबाग/याँ०  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन  
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉंची, दिनांक : 25.03.2021

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत 19 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रु 32.76 लाख (बत्तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।


महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| क्रमांक | मांग संख्या/मुख्य शीर्ष                           | उप मुख्य शीर्ष             | लघु शीर्ष/उप शीर्ष                               | आवंटित राशि<br>(लाख ₹ में) |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 1       | 2                                                 | 3                          | 4                                                | 5                          |
| 1.      | मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई | 03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक | 001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना | 32.760                     |

कुल आवंटित राशि - रुपये बत्तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 बजट उपबंध राशि 11675.14 लाख (एक सौ सोलह करोड़ पचहत्तर लाख चौदह हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि.) दि.15.07.2003,1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि०)



  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरुद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यापन कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापन **Online** किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यापन प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Access No** एवं **Revoke/Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में निहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट ( <http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।  
अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 343

रॉची, दिनांक :- 25.03.2021

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. -हिनूरॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/हजारीबाग/जामताड़ा/राजमहल/मधुपुर/पाकुड़/ गुमला/चाईबासा/साहेबगंज/गोड्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 343

रॉची, दिनांक :- 25.03.2021

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, ज ल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव

(प्रशांत कुमार)  
सचिव



मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक  
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना  
मार्ग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

पत्रांक..... 343 25-03-2021

परिशिष्ट I  
पत्रांक..... दिनांक..... को अनुसरणक

| क्र०सं | वित्तीय वर्ष 2020-2021             | विस्तृत शीर्ष-01-वैतन एवं भत्ते |                                |                     | विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                             |                             |                            | संश्लिष्ट लाघव रूपये में |        |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------|
|        |                                    | देतन                            | 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि | एलएटीसी             | देशीय यात्रा व्यय               | कार्यालय व्यय       | क्रियाया,दरे कर     | आपूर्ति एवं सामग्री | दूरभाष              | वटी                  | विद्युत व्यय        | मोटरगाडिया इंधन एवं मरम्मति | विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाडिया | विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय | कुल योग                  | अधिकृत |
| 0      | कार्यालय का नाम                    | विपत्र कोड                      | 49S2701030010 70101            | 49S27010300 1070110 | 49S270103001 070112             | 49S27010300 1070213 | 49S270103001 070315 | 49S27010300 1070316 | 49S270103001 070323 | 49S270103001 1070333 | 49S27010300 1070334 | 49S27010300 1070337         | 49S270103001 070442         | 49S270103001 070760        | 16                       | 17     |
| 1      | 2                                  | 3                               | 4                              | 5                   | 6                               | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                   | 12                  | 13                          | 14                          | 15                         |                          |        |
| 1      | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, देवर | पूर्व का आवंटन                  | 130.000                        | 0.000               | 0.000                           | 1.300               | 1.850               | 0.000               | 0.900               | 0.350                | 0.250               | 0.300                       | 1.900                       | 0.000                      | 136.850                  | *      |
| 2      | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | कुल आवंटन                       | 130.000                        | 0.000               | 0.000                           | 1.300               | 2.250               | 0.000               | 0.900               | 0.350                | 0.250               | 0.300                       | 1.900                       | 0.000                      | 137.250                  |        |
| 3      | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | पूर्व का आवंटन                  | 158.000                        | 0.000               | 0.000                           | 0.700               | 1.850               | 0.000               | 0.400               | 0.350                | 0.025               | 0.000                       | 1.900                       | 0.100                      | 163.725                  |        |
| 4      | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | कुल आवंटन                       | 158.000                        | 0.000               | 0.400                           | 0.700               | 2.150               | 0.000               | 0.400               | 0.350                | 0.025               | 0.000                       | 1.900                       | 0.100                      | 164.025                  |        |
| 5      | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | पूर्व का आवंटन                  | 28.000                         | 0.000               | 0.000                           | 0.200               | 1.400               | 0.000               | 0.300               | 0.300                | 0.000               | 0.900                       | 1.600                       | 0.000                      | 32.700                   |        |
| 6      | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | अतिरिक्त आवंटन                  | 0.000                          | 0.000               | 0.000                           | 0.000               | 0.300               | 0.000               | 0.000               | 0.000                | 0.000               | 0.000                       | 0.000                       | 0.000                      | 0.300                    |        |
| 7      | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | कुल आवंटन                       | 28.000                         | 0.000               | 0.000                           | 0.200               | 1.700               | 0.000               | 0.300               | 0.300                | 0.000               | 0.900                       | 1.600                       | 0.000                      | 33.000                   |        |
| 8      | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | पूर्व का आवंटन                  | 78.000                         | 0.000               | 0.150                           | 0.500               | 1.000               | 0.000               | 0.100               | 0.200                | 0.200               | 3.830                       | 1.000                       | 0.050                      | 85.030                   |        |
| 9      | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | अतिरिक्त आवंटन                  | 0.000                          | 0.000               | 0.000                           | 0.000               | 0.000               | 0.000               | 0.000               | 0.000                | 0.000               | 0.000                       | 0.000                       | 0.000                      | 0.400                    |        |
| 10     | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | कुल आवंटन                       | 78.000                         | 0.000               | 0.150                           | 0.500               | 1.000               | 0.000               | 0.100               | 0.200                | 0.200               | 3.830                       | 1.000                       | 0.050                      | 85.430                   |        |
| 11     | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | पूर्व का आवंटन                  | 147.000                        | 0.000               | 0.300                           | 0.700               | 0.950               | 0.000               | 0.200               | 0.150                | 0.250               | 5.000                       | 1.200                       | 0.100                      | 155.850                  |        |
| 12     | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | अतिरिक्त आवंटन                  | 0.000                          | 0.000               | 0.000                           | 0.000               | 0.000               | 0.000               | 0.000               | 0.050                | 0.000               | 0.000                       | 0.000                       | 0.000                      | 0.050                    |        |
| 13     | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | कुल आवंटन                       | 147.000                        | 0.000               | 0.300                           | 0.700               | 0.950               | 0.000               | 0.200               | 0.150                | 0.250               | 5.000                       | 1.200                       | 0.100                      | 155.900                  |        |
| 14     | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | पूर्व का आवंटन                  | 155.000                        | 0.000               | 0.500                           | 1.250               | 0.800               | 0.000               | 0.250               | 0.150                | 0.250               | 0.000                       | 0.800                       | 0.250                      | 159.250                  |        |
| 15     | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | अतिरिक्त आवंटन                  | 0.000                          | 0.000               | 0.000                           | 0.250               | 0.100               | 0.000               | 0.000               | 0.050                | 0.000               | 0.000                       | 0.400                       | 0.000                      | 0.800                    |        |
| 16     | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | कुल आवंटन                       | 155.000                        | 0.000               | 0.500                           | 1.500               | 0.900               | 0.000               | 0.250               | 0.150                | 0.250               | 0.000                       | 1.200                       | 0.250                      | 160.050                  |        |
| 17     | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | पूर्व का आवंटन                  | 92.000                         | 0.000               | 0.000                           | 0.200               | 0.600               | 0.000               | 0.250               | 0.050                | 0.125               | 0.000                       | 0.400                       | 0.000                      | 93.625                   |        |
| 18     | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | अतिरिक्त आवंटन                  | 0.000                          | 0.000               | 0.000                           | 0.820               | 0.000               | 0.000               | 0.000               | 0.000                | 0.000               | 0.000                       | 0.000                       | 0.000                      | 0.820                    |        |
| 19     | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | कुल आवंटन                       | 92.000                         | 0.000               | 0.000                           | 1.020               | 0.600               | 0.000               | 0.250               | 0.050                | 0.125               | 0.000                       | 0.400                       | 0.000                      | 94.445                   |        |
| 20     | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | पूर्व का आवंटन                  | 199.000                        | 0.000               | 0.000                           | 0.200               | 0.650               | 0.000               | 0.000               | 0.000                | 0.275               | 0.000                       | 0.300                       | 0.250                      | 200.675                  |        |
| 21     | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | अतिरिक्त आवंटन                  | 0.000                          | 0.000               | 0.000                           | 0.000               | 0.300               | 0.000               | 0.000               | 0.000                | 0.000               | 0.000                       | 0.000                       | 0.000                      | 0.300                    |        |
| 22     | मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, सैबी | कुल आवंटन                       | 199.000                        | 0.000               | 0.000                           | 0.200               | 0.950               | 0.000               | 0.000               | 0.000                | 0.275               | 0.000                       | 0.300                       | 0.250                      | 200.975                  |        |

(संजोन्न प्रसाद)  
उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

| वित्तीय वर्ष 2020-2021 |                                        | वित्तीय शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें |      |                                     |         | वित्तीय शीर्ष-02-यात्रा व्यय |               | वित्तीय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय |                     |        |       |              | वित्तीय शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां |               | वित्तीय शीर्ष-07-अन्य व्यय |           | राशि लाख रुपये में |  |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------|-------------------------------------|---------|------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|--|
| क्र.सं.                | कार्यालय का नाम                        | विपत्र कोड                       | वेतन | 15.11.2000 के पूर्व का बकाया देनादि | एलटी/सी | देशीय यात्रा व्यय            | कार्यालय व्यय | किराया,दफ्ते, कर                | आपूर्ति एवं सामग्री | दूरभाष | वर्दी | विद्युत व्यय | मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत  | विपत्र प्रसार | कुल योग                    | अभियुक्ति |                    |  |
| 0                      |                                        |                                  |      |                                     |         |                              |               |                                 |                     |        |       |              |                               |               |                            |           |                    |  |
| 1                      |                                        |                                  |      |                                     |         |                              |               |                                 |                     |        |       |              |                               |               |                            |           |                    |  |
| 9                      | गंगा पम्प नहर प्रमंडल , साहेबगंज       |                                  |      |                                     |         |                              |               |                                 |                     |        |       |              |                               |               |                            |           |                    |  |
| 10                     | गुण निबंधन प्रमंडल, राँची              |                                  |      |                                     |         |                              |               |                                 |                     |        |       |              |                               |               |                            |           |                    |  |
| 11                     | जलपथ प्रमंडल सं.-2, हजारीबाग           |                                  |      |                                     |         |                              |               |                                 |                     |        |       |              |                               |               |                            |           |                    |  |
| 12                     | पुनासी बौध प्रमंडल, पुनासी शिविर-देवघर |                                  |      |                                     |         |                              |               |                                 |                     |        |       |              |                               |               |                            |           |                    |  |
| 13                     | विशेष भू-अर्जन पटा, देवघर              |                                  |      |                                     |         |                              |               |                                 |                     |        |       |              |                               |               |                            |           |                    |  |
| 14                     | सिंचाई प्रमंडल गोडडा, शिविर-महगना      |                                  |      |                                     |         |                              |               |                                 |                     |        |       |              |                               |               |                            |           |                    |  |
| 15                     | सिंचाई प्रमंडल, जसीडीह                 |                                  |      |                                     |         |                              |               |                                 |                     |        |       |              |                               |               |                            |           |                    |  |
| 16                     | सिंचाई प्रमंडल, देवघर                  |                                  |      |                                     |         |                              |               |                                 |                     |        |       |              |                               |               |                            |           |                    |  |
| 17                     | सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़                 |                                  |      |                                     |         |                              |               |                                 |                     |        |       |              |                               |               |                            |           |                    |  |

प्रशांत कुमार  
सचिव

अशोक कुमार दास  
संयुक्त सचिव (अभि०)

343/26.03.2021

राजेंद्र प्रसाद  
उप सचिव (अभि०)



| क्र०सं० | वित्तीय वर्ष 2020-2021         |                | विरस्त शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें |                                | विरस्त शीर्ष-02-यात्रा व्यय | विरस्त शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय |               |                |                     | विरस्त शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां |       | विरस्त शीर्ष-07-अन्य व्यय | राशि लाख रुपये में           |             |         |           |
|---------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------------------|-------|---------------------------|------------------------------|-------------|---------|-----------|
|         | कार्यालय का नाम                | विपत्र कोड     | वेतन                            | 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि | एल०टी०सी०                   | देशीय यात्रा व्यय              | कार्यालय व्यय | किराया, दर, कर | आपूर्ति एवं सामग्री | दूरभाष                       | बढ़ी  | विद्युत व्यय              | मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत | विधि प्रभार | कुल योग | अभियुक्ति |
| 1       | 2                              | 3              | 4                               | 5                              | 6                           | 7                              | 8             | 9              | 10                  | 11                           | 12    | 13                        | 14                           | 15          | 16      | 17        |
| 18      | सिंचाई प्रमंडल, बड़हरवा        | पूर्व का आवंटन | 115.000                         | 0.000                          | 0.000                       | 0.200                          | 0.400         | 0.000          | 0.200               | 0.000                        | 0.125 | 0.500                     | 0.000                        | 0.100       | 116.525 |           |
|         |                                | अतिरिक्त आवंटन | 0.000                           | 0.000                          | 0.000                       | 1.820                          | 0.000         | 0.000          | 0.000               | 0.000                        | 0.000 | 0.000                     | 0.000                        | 0.000       | 1.820   |           |
|         |                                | कुल आवंटन      | 115.000                         | 0.000                          | 0.000                       | 2.020                          | 0.400         | 0.000          | 0.200               | 0.000                        | 0.125 | 0.500                     | 0.000                        | 0.100       | 118.345 |           |
| 19      | सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, रौंदी | पूर्व का आवंटन | 241.000                         | 0.000                          | 0.000                       | 0.200                          | 0.700         | 0.000          | 0.200               | 0.200                        | 0.450 | 0.150                     | 0.800                        | 0.000       | 243.700 |           |
|         |                                | अतिरिक्त आवंटन | 0.000                           | 0.000                          | 0.000                       | 0.000                          | 0.250         | 0.000          | 0.000               | 0.000                        | 0.000 | 0.000                     | 0.000                        | 0.000       | 0.250   |           |
|         |                                | कुल आवंटन      | 241.000                         | 0.000                          | 0.000                       | 0.200                          | 0.950         | 0.000          | 0.200               | 0.200                        | 0.450 | 0.150                     | 0.800                        | 0.000       | 243.950 |           |
|         | अतिरिक्त आवंटन का योग          |                | 21.270                          | 0.000                          | 0.000                       | 4.090                          | 4.400         | 0.300          | 0.000               | 0.100                        | 0.000 | 0.000                     | 2.200                        | 0.400       | 32.760  |           |

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधि-14/2010-39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विधुत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिर से विपरीकरण के आधार पर ही मुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि:-

रुपये बत्तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

343/25.03.2021